उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय
UTTARAKHAND AYURVEDA UNIVERSITY
(उत्तराखण्ड सरकार का स्वायत्तशासी निकाय; विश्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)
(An Autonomous body of Uttarakhand Government; registered u/s 2(f) of UGC Act, 1956; Member of AIU)
रेलवे रोड़, हर्रावाला, देहरादून (उत्तराखण्ड) – 248001 Railway Road, Harrawala, Dehradun (UK) - 248001
Phone : +91-135-2685993; **Fax :** +91-135-2685124; **Email :** uttarakhandayurved@gmail.com; **Website :** www.uau.ac.in;

संख्या : 3595/उ0आ0वि0/2022 दिनांक : 21.03.2022

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में स्नातकोत्तर हेतु ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी0– 2021 की मेरिट के आधार पर शैक्षणिक सत्र 2021–22 के लिए एम0डी0/एम0एस0 (आयु0) पाठ्यक्रमों में विश्वविद्यालय परिसरों में राजकीय कोटे एवं निजी क्षेत्र में स्थापित कॉलेजों की सीटों पर आयुर्वेद विश्वविद्यालय के माध्यम से केन्द्रीयत काउंसिलिंग **(Centarlized Counselling)** कर विभिन्न काउंसिलिंग चरणों के माध्यम से सीट आवंटन की कार्यवाही सम्पादित की जानी है। जिस हेतु विश्वविद्यालय द्वारा प्रथम एवं द्वितीय चरण काउंसिलिंग की रिक्त सीटों को मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग से भरे जाने हेतु निम्नतिथियों का निर्धारण किया जाता है:–

मॉप–अप चरण की यू0ए0यू0सी0 पी0जी0– 2021–22 कांउसिलिंग हेतु समय सारणी:–

Mop- up Round of Counseling	
Online Registration & Fresh Registration and Fee Submission	**27.03.2022 & 28.03.2022 (Up to 05:00 PM)**
Physical Reporting in Uttarakhand Ayurved University (09:00 AM) and allotment of Seats by Counselling Board	**30.03.2022 (09:00 AM)**
Last date of joining the allotted college	**31.03.2022 (Up to 05:00 PM)**

1– आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम (एम0डी0/एम0एस0(आयु0)) की मॉप–अप चरण काउंसिलिंग में सम्मिलित होने हेतु नियम/शर्तें:–

मॉप–अप चरण काउंसिलिंग हेतु अर्ह अभ्यर्थी

- ए0आई0ए0पी0जी0ई0टी– 2021 में अर्ह अभ्यर्थी जो प्रथम बार पंजीकरण कर रहें हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने प्रथम/द्वितीय चरण चरण काउन्सिलिंग में पंजीकरण ना कराया हो और मॉप–अप चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में कोई भी सीट आवंटित नही हुई हों।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण ना की गयी हो और मॉप–अप चरण में सीट आवंटन हेतु प्रतिभाग करना चाहते हो। तो वे नियमानुसार प्रतिभाग कर सकते है।
- ऐसे अभ्यर्थी जिन्होने बोर्ड द्वारा प्रथम/द्वितीय चरण काउन्सिलिंग में आवंटित सीट पर निर्धारित समयान्तर्गत प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण कर लिया गया है किन्तु माप–अप चरण हेतु प्रतिभाग करना चाहते हुए ऐसे अभ्यर्थी को अपने पूर्व में प्रवेशित सीट को त्याग करना होगा इस हेतु वह सम्बंधित परिसर/संस्थान के प्राचार्य को निर्धारित शुल्क देकर अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्राप्त करना होगा एवं अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) को विश्वविद्यालय को पंजीकरण की तिथि से पूर्व (दिनांक 27.03.2022) उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा इस हेतु सम्बन्धित प्राचार्य का सहयोग अनिवार्य है, किन्तु ऐसे अभ्यर्थी को पूर्व में प्रवेशित सीट पर कोई दावा मान्य नही होगा। यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।

- ऐसे अभ्यर्थी जो एम0डी0/एम0एस0(आयु0) पाठ्यक्रम में किसी भी संस्थान में अध्ययनरत है ऐसे अभ्यर्थियों को सीट आवंटन बोर्ड द्वारा तभी किया जायेगा जब वह अभ्यर्थी सम्बंधित संस्थान के प्राचार्य से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) विश्वविद्यालय को उपलब्ध करेगा। यदि विश्वविद्यालय के संज्ञान में ऐसे कोई अभ्यर्थी आता है तो उसका प्रवेश निरस्त समझा जायेगा।
- आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आयोजित काउंसिलिंग (AACCC) में जिन अभ्यर्थी को अनअर्ह (ineligible) घोषित किया गया वह इस विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित मॉप–अप चरण में सम्मिलित नही हो सकते है।

2– आन–लाईन माप–अप चरण काउन्सिलिंग हेतु पंजीकरण शुल्क एवं सिक्योरिटी शुल्कः–

- उपरोक्तानुसार पात्र प्रत्येक इच्छुक अर्ह अभ्यर्थी को मॉप अप चरण की काउन्सिलिंग में प्रतिभाग/सम्मिलित होने हेतु पूर्व में पंजीकरण अभ्यर्थी को **धनराशि रूपया 1000/ –(हजार रू0 मात्र) एवं नये अभ्यर्थी को रू0 2000/–(दो हजार रू0 मात्र)** **नान रिफनडेवल** **पजीकरण शुल्क** के रुप में केवल ऑनलाईन माध्यम से ही जमा कराना अनिवार्य होगा। अन्यथा की दशा में वे माप–अप चरण काउन्सिलिंग के माध्यम से सीट आवंटन हेतु अर्ह **नही** माने जायेगें।
- जिन अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा सीट आवंटित की जायेगी उन अभ्यर्थियों के द्वारा विश्वविद्यालय को सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 25000/–(पच्चीस हजार रू0 मात्र) ऑन–लाईन के माध्यम से जमा करना अनिवार्य होगा। जिसके उपरांत ही सम्बंधित अभ्यर्थी को आवंटित पत्र (Allotment letter) प्रदान किया जायेगा।
- अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह सिक्योरिटी शुल्क के रूप में रू0 25000/–(पच्चीस हजार रू0 मात्र) की व्यवस्था करें।

3– मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग हेतु सामान्य दिशा–निर्देशः–

- अभ्यर्थियों को मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग हेतु ऑन–लाईन पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। केवल ऑन–लाईन पंजीकृत अभ्यर्थियों को सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन की प्रकिया पूर्ण रूप से मैन्यूल होगी जिसमें अभ्यर्थियों को कांउसिलिंग बोर्ड के सम्मुख उपस्थित होना होगा। इस हेतु अभ्यर्थियों को विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन मे निर्धारित तिथि एवं समय में भौतिक रूप से उपस्थित होना होगा। केवल उपस्थित अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग बोर्ड द्वारा सीट आवंटन किया जायेगा।
- सीट आवंटन से पूर्व विश्वविद्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को एक प्रपत्र उपलब्ध कराया जायेगा जिसको अभ्यर्थी के द्वारा भरा जायेगा। अभ्यर्थी अपने सम्पूर्ण मूल अभिलेख (information brochure point no 8.4.11) एवं छायाप्रति (Photo copy), 05 नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटो लाना अनिवार्य होगा।
- सीट परिवर्तन/Seat Conversion मॉप–अप चरण में होगी। अभ्यर्थी को सलाह दी जाती है वह मॉप–अप चरण की काउंसिलिंग में अंत तक बने रहें।

काउंसिलिंग स्थलः– उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, रेलवे रोड, हर्रावाला, देहरादून।

4– अन्य सामान्य नियम/शर्ते

- विस्तृत जानकारी हेतु UAUCPG- 2021-22 information brochure का अध्ययन भली–भांति कर लें।
- काउॅन्सिलिंग की प्रक्रिया, समय–सारणी, अद्यतन सीट मेट्रिक्स,एवं काउॅन्सिलिंग संबंधी अन्य जानकारियाँ विश्वविद्यालय की वेबसाइट uau.ac.in पर विभिन्न लिंकों के माध्यम से अपलोड़ की जा रही है एवं भविष्य में भी काउन्सिलिंग संबंधी प्रत्येक अद्यतन जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाईट पर ही अपलोड की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से कोई सूचना (Call Letter) नहीं भेजी जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रुप से विश्वविद्यालय वेबसाईट का अवलोकन करते रहें।

काउंसिलिंग बोर्ड–2021